बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 04.10.23

संख्या–7 / स्था0–04–12 / 2019सा0प्र0 18645 / भारत संविधान के अनुच्छेद 234, सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के पश्चात् बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2023

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) नियम–3क(i)(क) के बाद निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किये जाने वाले (1) एवं (2) को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–14837 दिनांक 30.10.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचित रिक्तियों की तिथि 30.10.2019 से प्रभावी मानी जायेगी।

2. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम–3क(i)(क) के बाद (1) एवं (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–**

(1) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) में सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की नियुक्तियों में 10 प्रतिशत रिक्तियाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। उपर्युक्त आरक्षण, राज्य में लागू अन्य नियमों के द्वारा किन्हीं अन्य कोटियों के लिए विहित आरक्षण संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त होगा।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी जैसा कि *"बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों मे नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019"* में परिभाषित की गयी है।

3. **निरसन एवं व्यावृति**–(1) एतद् संबंधी अधिसूचना संख्या–12726 दिनांक 30.12.2020 निरसित समझे जायेंगे।

(2) इस नियम के उप नियम (1) के अधीन ऐसे निरसन के होते हुए भी, अधिसूचना संख्या–12726 दिनांक 30.12.2020 के अनुसार किया गया कुछ भी, या कृत कार्रवाई वैध मानी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन से प्रवृत्त थी, जिस दिन से अधिसूचना संख्या–12726 दिनांक 30.12.2020 लागू थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
5/10/23
(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–12/2019सा0प्र0 18645 /पटना–15, दिनांक 04.10.23

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

5/10/23
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–12/2019सा0प्र0 18645 /पटना–15, दिनांक 04.10.23

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–08 दिनांक 10.03.2023 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/10/23
सरकार के उप सचिव।